


राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक: ई/चि.अ./आर-706/2025/25 दिनांक : 10.01.2025

—:आदेश:—

माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर अवमानना याचिका संख्या 644/2024 अन्तर्गत डी बी सिविल रिट पिटिशन संख्या 5650/2024 रसना अग्रवाल बनाम सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.04.2024 की पालना में डॉ० रसना अग्रवाल, प्र.वि. (दन्त) का दिनांक 01.05.2024 से दिनांक 23.10.2024 का बकाया एवं आगामी वेतन प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय चित्तौडगढ़ में उपलब्ध रिक्त पद से आहरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।


  
निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक : 10.01.2025

क्रमांक: ई/चि.अ./आर-706/2025/25

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन उदयपुर।
5. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय चित्तौडगढ़।
6. डॉ० रसना अग्रवाल, प्र.वि. (दन्त) द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को आदेश की प्रति विभागीय बेवसाईट पर अपलोड वास्ते।
8. रक्षित पत्रावली।

  
निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर।